संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–1/टीकमगढ/2018 870 **भोपाल दिनांक** 4/5/18

//आदेश//

दैनिक नई दुनिया जिला ग्वालियर में प्रकाशित समाचार " प्रसूता श्रीमति रामदेवी की मृत्यु " को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर जिला–टीकमगढ द्वारा प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ को सौंपी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ ने पत्र दिनांक 10.05.16 स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर अवगत करवाया है कि डॉ. शालू जौहरी, महिला चिकित्सा अधिकारी ने पति द्वारा संचालित निजी नर्सिंग होम में सेवायें देने, अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने, कर्त्तव्य अवधि में शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रायवेट प्रेक्टिस करने तथा केवल परामर्श दात्री सेवायें देने का पालन न करते हुए शासकीय नियमों की अवहेलना करना परिलक्षित हुआ हैं ।

डॉ.शालू जौहरी, महिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला चिकित्सालय टीकमगढ ने अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतनें तथा शासनः निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं ।

अतः एतद् द्वारा डॉ.शालू जौहरी,महिला मेडीकल आफीसर, जिला चिकित्सालय, टीकमगढ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, के नियम 9 (1) के अंतर्गत उन्हें जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ.जौहरी का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर निर्धारित किया जाता हैं ।

डॉ. शालू जौहरी को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित ।

4/5/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्यसेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–1/टीकमगढ/2017 **भोपाल दिनांक**
प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला टीकमगढ म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश की प्रविष्टी डॉ.शालू जौहरी,महिला मेडीकल ऑफीसर की सेवापुस्तिका में दर्ज कराते हुये दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति तथा उनके विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें **अन्यथा प्रकरण में हुये विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**
9. डॉ. शालू जौहरी, महिला मेडिकल ऑफीसर जिला चिकित्सालय टीकमगढ की ओर पालनार्थ द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ ।
10. प्रभारी एम.आई.सेलस्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश नस्ति ।

4/5/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश